



2026:AHC:64423

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 10505 / 2026

विमल कुमार उर्फ राकेश कुमार

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : कपिल कुमार मिश्रा, तिवारी अभिषेक राजेश

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., श्याम सुंदर मिश्रा

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री तिवारी अभिषेक राजेश, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम सुंदर मिश्रा और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री उपेंद्र पाल को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
- वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 202/2025 अंतर्गत धारा 103(1), 109(1), 190, 191(2), 191(3), 352, 351(3), 3(5), 127(2) और 61(2)(क) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - खागा, जिला - फतेहपुर में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि घटना के प्रत्यक्षदर्शी न होने के बावजूद प्रथम सूचनादाता ने आवेदक का नाम एफआईआर में दर्ज कराया था, लेकिन घायल/प्रत्यक्षदर्शी ने अपने पहले दो बयानों में आवेदक को अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया और अपने तीसरे बयान में आवेदक को अभियुक्तों में से एक के रूप में नामित किया। आगे प्रस्तुत किया गया कि अन्य प्रत्यक्षदर्शी अच्यन मियां और सहाबुद्दीन तथा चंद्रपाल लोधी

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ने भी आवेदक को अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त कपिल (सह-अभियुक्त बृजेश कुमार त्रिपाठी उर्फ उमेश कुमार का दामाद) का नाम एफआईआर में दर्ज होने के बावजूद बाद में उसका पता हरियाणा में चला, इसलिए विवेचना के दौरान उसे आरोप से मुक्त कर दिया गया, जिससे अभियोजन कथानक पर संदेह पैदा होता है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त बृजेश कुमार त्रिपाठी उर्फ उमेश कुमार को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 32388/2025 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2026 द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया है। अतः, आवेदक की भूमिका समान होने के कारण, समानता के आधार पर उसे भी जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक ने एक मामले में अपने आपराधिक इतिहास का विवरण दिया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक विधि का पालन करने वाला नागरिक है और वह 19.06.2025 से जेल/कारागार में है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की प्रस्तुतियों और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिवेदित के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** की जाती है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक - **विमल कुमार उर्फ राकेश कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

- I. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।
 - II. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/विवेचना में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - III. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
 - IV. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।
7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसकी पुष्टि संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ की जाएगी कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
10. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सुओ मोटू रिट पिटीशन (सीआरएल.) संख्या 4 / 2021 दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित के मामले में कार्यालय को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के द्वारा आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

मार्च 28, 2026

एसए

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।